

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

S.B. Civil First Appeal No. 15/2009

Krishan Kumar

Vs.

Mohan Lal & Ors.

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सुदेश बंसल की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन मित्तल।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता डॉ पी सी जैन।

:: आदेश ::

08.02.2017

अधिवक्ता श्री सचिन मित्तल ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के मूल अधिवक्ता श्री सुदेश बंसल अस्वस्थ हैं, अतः समय प्रदान किया जाए।

पत्रावली दिनांक 21.02.2017 को सूचीबद्ध हो।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी/—